File No:- SUDA/SBM/JSSAWARD/16-2017.......................7739
18/12/17

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
|| संकल्प ||

विषय: झारखण्ड शहरी स्वच्छता पुरस्कार योजना में संशोधन की स्वीकृति के सम्बन्ध में|

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण तैयार करने तथा उन्हें खुले में शौच से मुक्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा "स्वच्छ भारत मिशन" नामक महत्वकांक्षी योजना प्रारंभ की गयी है , जिसके तहत वर्ष 2019 तक समस्त देश में सम्पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित है| इस प्रयोजन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को शहरी क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राधिकृत किया गया है |

2. सम्पूर्ण स्वच्छता के उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 6807 (A) दिनांक:13.12.16, द्वारा **"झारखण्ड शहरी स्वच्छता पुरस्कार योजना"** की स्वीकृति दी गई है तथा विभागीय संकल्प-252; दिनांकः-21.2.17 द्वारा उक्त योजना की मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण किया गया है |

3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत माह जनवरी में सम्पूर्ण देश में स्वच्छता सर्वेक्षण-2018 प्रस्तावित है | इस क्रम में झारखण्ड राज्य के 41 निकायों में स्वच्छता सर्वेक्षण-2018, माह जनवरी से किया जायेगा |

4. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवीन एवं अद्यतन मापदंड निर्धारित किए गए हैं जिसके आधार पर प्रस्तावित स्वच्छता सर्वेक्षण - 2018 पूरे देश भर के 4041 शहरों /नगर निकायों के बीच किया जाएगा | उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में **"झारखण्ड शहरी स्वच्छता पुरस्कार योजना"** हेतु राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा आहूत स्वच्छता सर्वेक्षण -2018 के रैंकिंग के आधार पर राज्य स्तर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों /नगर निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा |

5. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण- 2018 के दिशानिर्देश के नवीन एवं अद्यतन मापदंड के आलोक में विभागीय संकल्प -6807 (A) दिनांक: 13.12.16 एवं संकल्प संख्या-252; दिनांकः-21.2.17 को संशोधित करते हुए निम्नांकित प्रावधान लागू किए जाते हैं:-

   i. चूंकि स्वच्छता सर्वेक्षण अंतर्गत भारत सरकार की एजेंसी द्वारा शहरों /नगर निकायों का मूल्यांकन किया जाएगा अतः वार्ड स्तरीय पुरस्कार योजना को विलोपित किया जाता है|

   ii. चूँकि झारखण्ड शहरी स्वच्छता पुरस्कार योजना अंतर्गत पुरस्कार की राशि अखिल भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण पर आधारित है अतएव वर्णित विभागीय संकल्पों द्वारा दावा समर्पित करने की तिथि का कोई अभिप्राय नहीं है | अतः उक्त प्रावधान को विलोपित किया जाता है |

   iii. झारखण्ड शहरी स्वच्छता पुरस्कार योजना के स्वच्छता सर्वेक्षण पर आधारित रहने तथा सभी निकायों के ODF होने के कारण उक्त विभागीय संकल्पों द्वारा गठित वार्ड स्तरीय स्वच्छता आकलन

समिति एवं निकाय स्तर पर महापौर / अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति को विलोपित किया जाता है |

6. विभागीय संकल्प संख्या- 6807 (A) दिनांक: 13.12.16, के द्वारा निर्धारित **"स्वच्छ नगर पुरस्कार"** की राशि पूर्ववत निम्न्नंकित रहेगी:-

	नगर निगम	नगर परिषद्	नगर पंचायत
प्रथम पुरस्कार	2.00 करोड़ (1)	1.00 करोड़ (1)	50.00 लाख (1)
द्वीतीय पुरस्कार	1.00 करोड़ (1)	50.00 लाख (1)	25.00 लाख (2)
तृतीय पुरस्कार	50.00 लाख (1)	25.00 लाख (2)	11.00 लाख (2)
सांत्वना पुरस्कार	25.00 लाख (1)	11.00 लाख (3)	05.00 लाख (3)

नोट: जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को नगर निगम की श्रेणी में माना जाएगा |

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण- 2018 की रैंकिंग में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य के सभी नगर निगम /नगर परिषद् / नगर पंचायत की रैंकिंग की जाएगी| उक्त रैंकिंग के आधार पर उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रथम पुरस्कार, द्वीतीय पुरस्कार, तृतीया पुरस्कार एवं सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा|

7. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है|

आदेश: यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए|

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से|

14.12.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-7/न०/वि०/विविध/SBM-05/2014.......7739 **रांची,दिनांक-**.........18/12/17

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा रांची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ नोडल पदाधिकारी, ई –गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित |

14.12.17

सरकार के प्रधान सचिव |

ज्ञापांक-7/न०/वि०/विविध /SBM-05/2014..................7739 **रांची,दिनांक-**......18/12/17

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी विभाग, झारखण्ड सरकार/ सभी विभागाध्यक्ष,झारखण्ड , निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, /निदेशक ,नगरीय प्रशासन निदेशालय / अपर सचिव , सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ सभी आयुक्त , उपायुक्त, झारखण्ड/ नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकाय के आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, विशेष पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित|

14.12.17

सरकार के प्रधान सचिव |